"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2012—श्रावण 12, शक 1934

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2012

क्रमांक ई-1-14/2011/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1981 आवंटन वर्ष के, श्री विवेक कुमार ढांड, भा.प्र.से. को, आवंटन वर्ष से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत, दिनांक 01-06-2012 से रिक्ति उपलब्ध होने पर, दिनांक 13-07-2012 को छानबीन समिति (Screening Committee) की अनुशंसा अनुसार, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सेवा के अपेक्स वेतनमान (Apex Scale) रु. 80000/- (निश्चित) में पदोन्नति प्रदान की जाती है.

2. श्री विवेक कुमार ढांड को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, संयुक्त सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2012

क्रमांक एफ-1-10/31/छ.ग.सि.प्र.निर्वाचन नियम 2006/एस-2/2012.—छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) की धारा 55 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी निर्वाचन नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 82 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"83. **चुनाव याचिका प्रस्तुत करने हेतु प्रणाली, समय सीमा एवं शुल्क :—** निर्वाचन की अपनाई गई प्रक्रिया अथवा उसके परिणाम से व्यथित कोई भी व्यक्ति उसके लिए यथोचित शुल्क देकर समय सीमा के अंदर निम्नलिखित अधिकारियों के समक्ष चुनाव याचिका प्रस्तुत कर सकता है :—

(एक) जल उपभोक्ता संघ की प्रबंधन समिति के सदस्य एवं इसके अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित विवाद में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) के समक्ष, याचिका प्रस्तुत की जाएगी.

(दो) 'वितरिका समिति' एवं 'पद्धियोजना समिति' के सदस्य एवं अध्यक्ष/सभापति के चुनाव से संबंधित विवाद में संबंधित जिले के कलेक्टर (जिला दण्डाधिकारी) के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जाएगी.

(तीन) मतदान (चुनाव) के परिणाम की घोषणा होने की तारीख से 30 दिवस की कालावधि के अंदर याचिका ग्रहण की जाएगी, उसके पश्चात् याचिका ग्रहण नहीं की जाएगी.

(चार) उक्त याचिका प्रस्तुत करने हेतु याचिकाकर्त्ता द्वारा जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालन अभियंता के पास रु. 200.00 शुल्क जमा किया जाएगा तथा तत्पश्चात् कार्यपालन-अभियंता द्वारा यह राशि मद शीर्ष 0702-01 (राजस्व प्राप्तियों) में जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी एवं राजसात मानी जाएगी.

(पांच) संबंधित अधिकारी द्वारा इस प्रकार पारित निर्णय अंतिम एवं याचिकाकर्ता पर बंधनकारी होगा एवं किसी भी स्थिति में अपील स्वीकार नहीं की जाएगी.

(छ:) किसी भी चुनाव के पूर्ण होने और चुनाव परिणामों की घोषणा की दशा में उपरोक्त उल्लिखित ऐसे समस्त प्रकरणों में चुनाव याचिका प्रस्तुत करने की समय-सीमा चुनाव परिणामों की घोषणा के दिनांक से 30 दिवसों की होगी :

परंतु यदि याचिकाकर्त्ता संबंधित अधिकारी को ऐसी अवधि में याचिका प्रस्तुत नहीं कर पाने के पर्याप्त कारणों से संतुष्ट कर देता है तो निर्धारित 30 दिवस की अवधि के पश्चात् भी याचिका स्वीकार की जा सकेगी और कोई भी याचिका चुनाव परिणामों की घोषणा की तारीख से 6 माह की अवधि के पश्चात् स्वीकार नहीं की जाएगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2012

क्रमांक एफ-1-10/31/छ.ग.सि.प्र.निर्वाचन नियम 2006/एस-2/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी निर्वाचन नियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-06-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

Raipur the 25th June 2012

No. F-1-10/31/C.G. Sinchai Prabandhan Nirwachan Niyam 2006/S-2/2012.— In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Chhattisgarh Sinchai Prabhandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (No. 20 of 2006), the State Government, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Nirvachan Niyam, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After Rule 82, the following rule shall be added, namely :—

"83. **Manner, Time limit and Fee for filing election petition.**—Any person aggrieved by the result or procedure of election so adopted, may file an election petition, duly paying the fee therefore within the time limit and to cfficers as mentioned below :—

(i) Dispute regarding election of Water Users Association's Managing Committee's members and its President, the petition shall be filed with Sub-Divisional Officer (Revenue).

(ii) Dispute regarding election of 'Distributory Committee' and 'Project Committees' members and President/Chairperson, the petition shall be filed with Collector (District Magistrate) of concerned District.

(iii) From the date of declaration of polling result, a period of thirty days shall be reckoned to entertain the petition, failling which the petition shall not be entertained.

(iv) For filing the said petition, a fee of Rs. 200/- shall be deposited by the appellant to the concerned Executive Engineer, Water Resources Department and thereafter this fee shall be remitted by Executive Engineer under head 0702-01 (Revenue Receipts), which shall not be refundable in any case and shall be deemed as forfeited.

(v) The decision so awarded by the concerning officer, shall be final and binding on the petitioner and in any case no appeal shall be entertained.

(vi) In the event of completion of any election and declaration of election results, the time limit to file the election petition in all such cases as mentioned above, shall be thirty days from the date of declaration of election results :

Provided that any petition may be entertained after the prescribed period of thirty days if the petitioner satisfies the concerning officer that he had sufficient cause for not preferring the petition with in such period and no petition shall be entertained beyond a period of six months from the date of declaration of election results."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB KHESS, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 01-54/स्था./31/2010.—छ.ग. जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम-1968 में अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियम-1968 में 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा अवधि निर्धारित की गई है.

2. राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार जल संसाधन विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हकारी सेवा 05 वर्ष में 02 वर्ष की छूट प्रदान करते हुये, भर्ती नियम में अर्हकारी सेवा 03 वर्ष (कलेण्डर वर्ष 01-01-2012 से 31-12-2012 तक के लिए) की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमर अली, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2012

क्रमांक एफ 10-11/2012/16.—राज्य शासन न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) जिस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) एवं (बी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश में गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनियम के परिशिष्ट के भाग 3 में उल्लेखित "किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन" के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1206 (1960=100) के आधार आंकड़ों के साथ जुलाई 2010 से जून 2011 तक की अवधि में हुई 2985 औसत बिन्दुओं के कुल योग 4191 (1206 + 2985=4191 पाईंट) की वृद्धि को मूल वेतन के साथ विलय करने के उपरांत प्राप्त न्यूनतम वेतन की दरों का पुनरीक्षण कर न्यूनतम वेतन में 12.5 की वृद्धि करते हुए नवीन न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित करना प्रस्तावित करता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) की अपेक्षानुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिये जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से दो माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् विचार किया जावेगा.